



कार्यालय मुख्य अभियंता (मानव संसाधन एवं प्रशासन)
मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड
(म.प्र.शासन का उपक्रम)

CIN No. U40109MP2001SGC014882

ब्लॉक नं.-9, शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर - 482008

फोन नं. : 0761-2702615

ई मेल : mppgcl@mp.nic.in

फैक्स नं.: 0761-2665805

वेबसाइट : www.mppgcl.mp.gov.in

क्रमांक मु.अ.(मा.सं.एवं प्र.)/मप्रपॉजकंलि/स्था/3095

जबलपुर, दिनांक 24.11.2020

आदेश

म.प्र.पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के आदेश क्रमांक मु.अ.(मा.सं.सा.एवं प्रशा.)/उ.स.दो/3896-97 दिनांक 06.10.2018 द्वारा म.प्र.शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 6-1-2018-नियम-चार दिनांक 28.07.2018 को ग्राह्य करते हुए म.प्र.सिविल सेवा (अवकाश) नियम-1977 में संशोधन कर सेवानिवृत्त होने वाले कंपनी के कर्मिकों को सेवानिवृत्ति की तिथि को उनके खाते में जमा अर्जित अवकाश की संचयन सीमा 240 दिन को बढ़ाकर 300 दिन अधिकतम की गई है। यह आदेश दिनांक 01 जुलाई 2018 से प्रवृत्त किया गया है।

म.प्र.पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के कर्मिकों को सेवानिवृत्ति/सेवा के दौरान मृत्यु होने पर अर्जित अवकाश नगदीकरण के संबंध में कंपनी द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया है :-

- (अ) म.प्र.पाँ.जन.कं.लि. के नियमित कर्मिकों को सेवानिवृत्ति/सेवा के दौरान मृत्यु होने पर 300 दिन की अधिकतम सीमा के अधीन अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति का प्रावधान किया जाता है।
- (ब) अर्जित अवकाश नगदीकरण की पात्रता संबंधी गणना पूर्ववर्ती म.प्र.विद्युत मंडल/म.प्र.रा.वि.मंडल द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेश/परिपत्रों से किये गये प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।
- (स) उक्त प्रावधान दिनांक 01 जुलाई 2018 से प्रवृत्त होगा।

आदेशानुसार

(एस.एम. सोलापुरकर)

मुख्य अभियंता (मा.सं.सा.एवं प्रशा.),
म.प्र.पाँ.जन.कं.लि., जबलपुर

पृ.क्र.मु.अ.(मा.सं.एवं प्र.)/मप्रपॉजकंलि/स्था/3096

जबलपुर, दिनांक 24.11.2020

प्रतिलिपि :-

- 1- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, म.प्र.शासन, ऊर्जा विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल।
- 2- कार्यपालक निदेशक/मुख्य अभियंता (संचा.संघा.-उत्पा.)/(सिविल अभियांत्रिकी)/(ईंधन प्रबंधन)/(अभियांत्रिकी)/(नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण)/(संचा.संघा.-जल विद्युत)/(सामग्री प्रबंधन)/(सी.एस.)/(परियोजना उत्पा.), म.प्र.पाँ.जन.कं.लि., जबलपुर।
- 3- मुख्य अभियंता (उत्पादन), संगंताविगृह/अताविगृह/सताविगृह/श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, म.प्र.पाँ.जन.कं.लि. बिरसिंहपुर/चचाई/सारनी/खण्डवा।
- 4- मुख्य वित्तीय अधिकारी, म.प्र.पावर जनरेटिंग कं.लि. जबलपुर।

क्रमशः 2

- 5- अतिरिक्त मुख्य अभियंता (उत्पादन-भंडार)/टीएचसी) म.प्र.पाँवर जनरेटिंग कं.लि. जबलपुर/सिरमौर।
- 7- मुख्य चिकित्सा अधिकारी/वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी, म.प्र.पाँ.जन.कं.लि., चचाई/बिरसिंहपुर/सारनी/खण्डवा ।
- 8- मुख्य सुरक्षा अधिकारी, म.प्र.पाँवर जनरेटिंग कं.लि. जबलपुर ।
- 9- अधीक्षण अभियंता (उत्पादन)/गांधीसागर/पंच/राजघाट/रानी अवंतीबाई सागर/बाणसागर-दो/तीन/चार, मड़ीखेड़ा जल विद्युत गृह, म.प्र.पाँ.जन.कं.लि. गांधीसागर/तोतलाडोह/चंदेरी/ बरगीनगर/शिवपुरी/सिलपरा/देवलौंद/झिन्ना ।
- 10- अधीक्षण अभियंता (सिविल) सर्वे एवं अनु./जल वि.संघा.वृत्त), म.प्र.पाँवर जनरेटिंग कं.लि. जबलपुर।
- 11- वरिष्ठ लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी (सी.ओ.जी.एण्ड एच.एस.)/संगांताविगृह/अतविगृह/सताविगृह/श्री सिंगाजी ताप विद्युत परि/टोंस जल विद्युत गृह, म.प्र.पाँ.जन.कं.लि., जबलपुर/बिरसिंहपुर/चचाई/सारनी/खण्डवा/सिरमौर ।
- 12- सहायक अभियंता (आई.टी.), कार्या.मुख्य अभियंता (मा.संसा.एवं प्रशा.), म.प्र.पा.जन.कं.लि. जबलपुर ।
- 13- निज सहायक संबद्ध प्रबंध संचालक/ संचालक (तकनीकी)/(वाणिज्य), म.प्र.पा.जन.कं.लि. जबलपुर ।



(एस.डी. उपाध्याय)

संयुक्त सचिव,

कार्या.मुख्य अभि. (मा.संसा.एवं प्रशा.)

म.प्र.पाँ.जन.कं.लि. जबलपुर